दैनिक जागरण | 3
पटना, 29 दिसंबर 2018

बगैर निबंधन निर्माण करने वालों पर 10 लाख जुर्माना

रेरा ने बिल्डरों पर की कार्रवाई 31 जनवरी तक का दिया मौका

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) बिहार ने फरवरी से बगैर निबंधन अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डरों पर और कठोर कार्रवाई करने का निर्णय किया है। रेरा ने ऐसे बिल्डरों को 31 जनवरी तक मौका दिया है। हालांकि पहली जनवरी से बगैर निबंधन अपार्टमेंट निर्माण शुरू कर देने वाले बिल्डर अगर पकड़े जाते हैं, तो उनसे रजिस्ट्रेशन शुल्क एक लाख रुपये की जगह दस लाख रुपये या फिर परियोजना की लागत का दस फीसद राशि देना होगा। रेरा ने शुक्रवार इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया।

रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा ने बताया कि आवासीय, व्यावसायिक और संयुक्त अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डरों और प्लॉट डेवलपरों पर शिकंजा गया है। रेरा के प्रावधान के अनुसार हर वह व्यक्ति जो पांच कट्ठा से अधिक जमीन की बिक्री करता है, उसे निबंधन कराना होगा। अगर प्लॉट पांच कट्ठे का ही हो और उसमें पांच व्यक्ति को एक-एक कट्ठा जमीन बेची गई, तब भी कारोबारी निबंधन के दायरे में आएंगे। बड़ा प्लॉट खरीदकर या एग्रीमेंट कराकर उसकी प्लॉटिंग करने वाले इसके दायरे में लिए गए हैं। रेरा ने निबंधन नहीं कराने वाले रीयल इस्टेट एजेंटों के खिलाफ जुर्माना का भी प्रावधान है।

बता दें कि रेरा अभी तक 330 बगैर निबंधन कराए आवासीय, व्यवसायिक और संयुक्त अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डरों और प्लॉट डेवलपरों को पकड़ चुका है। इसमें कई बिल्डरों के बैंक खाता फ्रीज करने की कार्रवाई गई है। रेरा ने बिल्डरों द्वारा बगैर निबंधन योजनाओं का प्रचार-प्रसार और बुकिंग करने वाली रियल इस्टेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।

शिकंजा

- आवासीय, व्यवसायिक और संयुक्त अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डरों और प्लॉट डेवलपरों पर कसा शिकंजा
- रियल इस्टेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज